न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 139/2017 **दायरा दिनांक : 04.09.2017**

उनवान

नाथूलाल परिवर्तित नाम सत्यव्रत जांगिड पुत्र धूलीलाल आयु 66 साल, जाति जांगिड ब्राहमण, निवासी कोयला, तहसील बांरा जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— ओमप्रकाश पुत्र धूलीलाल, जाति जांगिड ब्राहमण, निवासी कोयला, तहसील बांरा जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री राजेश कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.10.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 76/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट नाथूलाल ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया ग्राम कोयला तहसील

बांरा की जमाबंदी संख्या नया 406 पुराना 353 की आराजी खसरा नम्बर 2981 रकबा 2.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 2982 रकबा 0.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 3386 रकबा 5.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 3387 रकबा 0.35 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 8.09 हेक्टर ग्राम तिसाया की आराजी जमाबंदी संख्या नया 206 पुराना 211 की आराजी खसरा नम्बर 1239 रकबा 2.08 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की संयुक्त खाते की है वादी का नाम नाथू लाल पुत्र धूली लाल, जाति खाती, निवासी कोयला था जो उसके द्वारा अपना नाम परिवर्तित कर सत्यव्रत जांगीड पुत्र धूलीलाल किया जा चुका है जो राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 16.06.2011 को कार्यालय अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रण जयपुर राज021/सूचना/राजपत्र–2 से प्रार्थी वादी का नाम नाथू लाल शर्मा पुत्र धूलीलाल शर्मा के स्थान पर सत्यव्रत जांगीड ब्राहमण कर दिया गया है इसलिए वादी अपना नाम राजस्व रेकार्ड में भी नाथूलाल के स्थान पर सत्यव्रत जांगीड जाति खाती के स्थान पर जागीड दर्ज करा पा सकने का अधिकारी है। वादी का नाम समस्त दस्तावेजात जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या 11एस/1107259 एवं आधार कार्ड नम्बर 970465586799 में भी वादी का नाम सत्यव्रत जांगीड दर्ज है तथा राजस्व रेकार्ड में पूर्व नाम नाथू लाल पुत्र धूलीलाल जाति खाती चला आ रहा है जिसे वादी दुरूस्त करा पा सकने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा बार बार राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्त करने का तहसीलदार को निवेदन किया परन्तु तहसीलदार के मना करने पर यह वाद प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम कोयला खाता संख्या 406 व ग्राम तिसाया खाता संख्या 206 में नाथूलाल पुत्र धूलीलाल, जाति खाती, निवासी कोयला, के स्थान पर नाथूलाल उर्फ सत्यव्रत जांगीड, जाति खाती, निवासी कोयला संशोधित किया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में दिनांक 25.05.2017 को वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम कोयला खाता संख्या 406 व ग्राम तिसाया खाता संख्या 206 में नाथूलाल पुत्र धूलीलाल, जाति खाती, निवासी कोयला, के स्थान पर नाथूलाल उर्फ सत्यव्रत जांगीड, जाति खाती, निवासी कोयला संशोधित किये जाने के आदेश पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादी का वाद सही प्रकार से विवेचन एवं पठन नहीं किया । जबकि वादी ने वाद पत्र में नाथूलाल के स्थान पर अपना नाम सत्यव्रत एवं जाति खाती के स्थान पर जांगीड ब्राहमण दर्ज करने की याचना की थी । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में सत्यव्रत नाम दर्ज होकर जाति जांगीड ब्राहमण दर्ज है इन दस्तावेजों की भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी की है जबकि वादी दस्तावेजों के आधार पर नाम परिवर्तन एवं जाति में संशोधन करा पाने का अधिकारी है । गजट नोटिफिकेशन में भी अपीलांट नाथूलाल ने अपना नाम बदल कर सत्यव्रत जांगीड व जाति खाती के स्थान पर जांगीड संशोधित करवा लिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का पुराना नाम नाथूलाल है तथा वर्तमान में जो दस्तावेजात अपीलांट ने पेश किये हैं उनमें नाथूलाल के स्थान पर सत्यव्रत नाम दर्ज करवा लिया है । अतः राजस्व रेकार्ड में भी प्रार्थी का नाम सत्यव्रत किया जावे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी का नाम नाथू लाल पुत्र धूली लाल, जाति खाती, निवासी कोयला था वादी द्वारा अपना नाम परिवर्तित कर सत्यव्रत जांगीड पुत्र धूलीलाल किया जा चुका है जो राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 16.06.2011 को कार्यालय अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रण जयपुर राज021/सूचना/राजपत्र–2 से प्रार्थी वादी का नाम नाथूलाल शर्मा पुत्र धूलीलाल शर्मा के स्थान पर सत्यव्रत जांगीड ब्राहमण कर दिया गया है जो एक्जीविट 5 है तथा गजट नोटिफिकेशन व अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.05.2017 में अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में नाथूलाल उर्फ सत्यव्रत जांगिड, जाति खाती दर्ज करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकार्ड में नाम परिवर्तन करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपनी सरकारी नौकरी का भी अधिकांश समय नाथूलाल वल्द धूलीलाल नाम से व्यतीत किया गया है अर्थात् प्रार्थी का यह नाम प्रचलित नाम रहा है और इसी नाम से नौकरी का अधिकांश समय पूर्ण किया गया है। अपीलांट का जमाबंदी में नाम परिवर्तन किन प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे यह राजस्व नियमों में कहीं स्पष्ट नहीं है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील सारहीन प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा